कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी, जोधपुर–II
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान)

Krishi Vigyan Kendra, Phalodi, Jodhpur-II

(Agriculture University, Jodhpur, Rajasthan)

Dr. S.K. Bairwa
Senior Scientist & Head

Email:kvkpalodi@gmail.com

No./KVK/PHLD/2025-26/26-30 **Date: 13/05/2025**

खुली निविदा सूचना 02 / 2025–26

कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी, जोधपुर–II के फार्म पर वर्श खरीफ व रबी 2025–26 हेतु हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://www.sppp.rajasthan.gov.inb तथा http://www.aujodhpur.ac.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

निविदा प्रपत्र कम संख्या	वर्ष 2025–26 / सं.
निविदा कम संख्या	कमांक एफ / के.वी.के. / फलोदी / 2025–26 / दिनांकः–
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –
निविदा वर्ष	2025–26
खेती की अनुमानित अवधि	**खरीफ व रबी 2025–26 (जून 2025 से अप्रेल, 2026 तक)**
अनुमानित लागत	4,99,000 रुपये
धरोहर राशि	रुपये 10000 / –(अक्षरे दस हजार मात्र)(रोकड़ / बैक ड्राफ्ट)
परिशिष्ट संख्या–एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या–दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	13.05.2025
निविदा जमा कराने की अतिंम तिथि	20.05.2025 सुबह 10:30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	20.05.2025 प्रातः 11:30 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी
पत्राचार हेतु पता	वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी–342301

13/05/2025

(श्रीकिशन बैरवा)
वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. श्रीमान् प्रसार शिक्षा निदेशक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. फार्म प्रभारी / कमेटी कन्वेनर / सदस्य
5. नोटिस बोर्ड फार्म / कार्यालय / नगर परिषद् / ....
6. गार्ड फाईल

13/05/2025

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

64

परिशिष्ट –1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2025–26)

खरीफ व रबी 2025–26(जून 2025 से अप्रेल, 2026 तक)

(निविदा शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करे)

निविदा कम संख्या	कमांक एफ/कृविके/फलोदी/2025–26/26-30 दिनांकः– 13/05/2025 UBN CODE-
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2025–26 मे बीजोत्पादन फसलो की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ व रबी 2025–26(जून 2025 से अप्रेल, 2026 तक)
निविदादाता का नाम व पता	.... दुरभाष नं.............................. आधार नं..................................
धरोहर राशि का विवरण	रुपये 10000/– (अक्षरे दस हजार मात्र)(रोकड़/बैक ड्राफ्ट) रसीद स .... दिनांक........................ बैक ड्राफ्ट सं..................... दिनाक......................... बैक का नाम .... शाखा...........................

कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी के फार्म पर वर्ष 2025–26 मे हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की पैदावार मे चारा व दाना/बीज उपज मे निविदादाता /ठेकेदार एवं कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी की हिस्सेदारीः–

कं सं	मौसम व वर्ष	निविदादाता /ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत मे)	कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी का हिस्सा (प्रतिशत मे)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन बीज कृषि विज्ञान केन्द्र फलादी द्वारा क्रयकरने पर ओसत दर से देयभुगतान के अतिरिक्त राशि (बोनस 100 रुपये प्रतिकिव.)
1	खरीफ व रबी 2025–26			

हस्ताक्षर–निविदादाता (ठेकेदार)

निविदादाता का नाम.................................
पता...
....
आधार नं..

परिशिष्ट –2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु आवश्यक शर्ते

(निविदा शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करे)

1 निविदा सीलबन्द लिफाफे मे वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी के नाम से देय हो तथा निविदा लिफाफे पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा दिनांक 20.05.2025 प्रातः 10.30 बजे तक देय तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।

2 निविदा बॉलप्वाईट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एव हिस्सा (प्रतिशत मे) अंको व शब्दो मे स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नही होगा

3 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।

4 निविदा दरे वर्ष 2025–26 के लिए अनुमोदन के बाद उक्तसमयअवधि के लिए मान्य होगी। कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित के साथ सिंचित भी होता है।

5 निविदा के साथ 10000/– रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैक ड्राफ्ट, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी के नाम देय हो, प्रस्तुत करे। धरोहर राशि के बिना एव निर्धारित दिनांक एवम समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। चैक के रुप मे धरोहर राशि स्वीकार नही की जायेगी।

6 ट्रेक्टर सम्बधी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व केल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे डीजल खर्च व्यवस्था मे निविदादाता का कोई योगदान नही होगा परन्तु इस कार्य मे समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगें।

7 बुवाई हेतु बीज व खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई,जुताई,सीड ड्रिल द्वारा बुवाई,पानी,खरपतवार निकालना,सफाई, व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वंय ही करायेगा। अर्थात बुवाई से फसल काटने,फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरो मे भरकर पैकिग कर गोदाम मे तौलने तक की प्रकिया मे लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।

8 फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति मे फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा। पंरतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होगें।

9 बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य कियाऐ जैसे निराई–गुड़ाई (कम से कम दो बार) एंव रोगिंग (अवांछित पौधो को निकालना) वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

10 निराई–गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बधिंत कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होगे।प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष /फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर का होगा।

11 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी का निर्णय अंतिम रुप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।

12 फसलो की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुड़ाई व जैविक दवाओ का छिड़काव/ भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।इसमे शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान मे से काट लिया जायेगा।

13 ठेकेदार के श्रमिको द्वारा यदि फार्म की सम्पति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा।अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नही करने पर धरोहर राशि मे से काट लिया जायेगा।

14 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा एंव ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।

15 फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरहा फार्म पर नही लायेगा। तथा ना ही यहां से चारा आदि ले जाने दिया जायेगा। कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी के फार्म पर उपलब्ध घास,लुगं,पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नही होगा।

16 निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काशत हेतू आगे से आगे नही देगा।अन्यथा उसका ठेका रद कर दिया जायेगा।

17 निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना जाना करना होगा। किसी भी अंवाछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नही होगी

18 हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलो के चयन का अधिकार कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी का होगा।

19 केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष /फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलो की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलो की बुवाई निविदादाता द्वारा नही की जा सकेगी।

20 फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावड़ा,कुदाली,गेती,खुरपी,दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होगें।

21 निविदादाता को खरीफ व रबी 2025–26 मे बीजोत्पादन फसलो की खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमो की समय अवधि मे समय पर जमा करानी होगी।

22 फार्म मे उत्पादित बीज मे से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरन्त पश्चात फलोदी कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (100 प्रति क्विं0 केवल बीज) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकदार अपना हिस्सा स्वंय ले जाने व बेचने को स्वतन्त्र होगा ।

23 केन्द्र के फार्म पर बीजोत्पादन कार्य के दोरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्यवं ठेकेदार की होगी। इसमे केन्द्र कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नही होगा।

24 बीज उत्पादन प्रकिया मे फसल के चारे पर हक ठेकेदार व केन्द्र का हिस्सा उसी अनुपात में होगा, लेकिन ठेकेदार इसको दाने की पैदावार जमा कराने के बाद ही उठायेगा ।

25 अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन मे लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

26 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतू वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी का निर्णय अतिंम रुप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियो मे विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविधालय,जोधपुर के ऑविष्ट्रेशन मे प्रस्तुत करना होगा। और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

27 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी के पास सुरक्षित रहेगा ।

28 सफल निविदादाता को उपरोक्त शर्तो की सहमति का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 500/– पर इकरारनामा/अनुबंध प्रेषित करना होगा।

मुझे निविदा की समस्त 27 शर्ते मजूर हैं। तथा मै उपरोक्त वर्णित शर्तो पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूं ।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक.........................

निविदादाता का नाम..

पता...

....

आधार नं...

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

1

2

3

4

वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष